1663

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उप पंजीयक
औबेदुल्लागंज

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

W 861645

घोषणा पत्र

मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 के तहत

मेसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन आत्मज स्व. श्री बाबूलाल जी जैन आयु–50 वर्ष,निवासी–एच.बी–19, अभिरूचि परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म0प्र0 राष्ट्रीयता भारतीय। (जिन्हें कि इसके पश्चात अनुदाता के रूप में निर्दिष्ठ किया गया है) एतद् द्वारा निम्न कथन करता हूँ कि, :–

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

पार्टनर

Scanned with CamScanner

1034
Tasc
२१/10/12

मेसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी
द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन
आत्मज स्व. श्री बाबूलालजी जैन
आयु 50 वर्ष निवासी एच.बी.-19,
अभिरुचि परिसर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म.प्र.
राष्ट्रीयता भारतीय

वास्ते - घोषणा पत्र
उप पंजीयक कार्या. औ.गंज

GOHARGANJ (M.P.)

11 SEP 2012

अनिल कुमार गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
स्टेशन रोड, मण्डीदीप
मो.—9827089537

मेसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी
द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन
आत्मज स्व. श्री बाबूलालजी जैन
आयु 50 वर्ष निवासी एच.बी.-19,
अभिरुचि परिसर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म.प्र.
राष्ट्रीयता भारतीय

...अधिनियम के अंतर्गत शुल्क	100/-
स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत शुल्क	—
नगर पालिका शुल्क	—
... कर	—
अतिरिक्त शुल्क	—
अधिक	—
योग	100/-

द्वारा उप-जिला औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन के उप पंजीयक
कार्यालय में दिनांक 17 OCT 2012
को म. पू./म. प. 4:30
पूर्व प्रस्तुत किया गया। 4-30

उप पंजीयक

उप पंजीयक

यह कि अनुदाता वार्ड नं0–17, मडीदीप नगर पालिका तहसील–गौहरगंज जिला–रायसेन क्षेत्र में स्थित लिखित संपत्ति के वैधानिक रूप में स्वामी है :–

संपत्ति :– खसरा क्र. 437/1/1/1/2 रकवा 8.50 एकड़ में से 5.92 एकड़, 437/1/1/1/3 रकवा 3 एकड़, खसरा क्रं. 437/4 रकवा 2 एकड़, खसरा क्रं. 438/1 रकवा 1 एकड़, खसरा क्रं. 438/2 रकवा 1 एकड़, खसरा क्रं. 438/3 रकवा 1 एकड़ एवं खसरा क्रं. 438/4 रकवा 1 एकड़ कुल 14.92 एकड़ अर्थात 6.0386 हे0 है। जो मण्डीदीप प.ह.नं. 3 पर स्थित है जो मंडीदीप नगर पालिका की सीमाओं के अंदर वार्ड नं. 17 में जिस पर उक्त कॉलोनी विकसित कि जा रही है उक्त भूमि पर विकास हेतू जिसका कुल क्षेत्रफल प्लाट एरिया 1319.29 वर्गमीटर स्वीकृत है जिसमें से फ्लेट का एरिया 734.17 वर्गमीटर (प्रत्येक फ्लोर पर) है, शाप एरिया 765.76 वर्गमीटर है। जिसको कि भूमि स्वामी मेसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी रजि0 विकय पत्र दिनांक 17.03.2011 ग्रंथ कमांक–2014 दस्तावेज कमांक 2731, रजि0 विकय पत्र दिनांक 21.01.2011 ग्रंथ क्र. 1980 दस्तावेज क्रं. 2215, विकय पत्र दिनांक 07.07.2012 ग्रंथ कमांक–2329 दस्तावेज कमांक 914, रजि0 विकय पत्र दिनांक 13.07.2012 ग्रंथ कमांक–2331 दस्तावेज कमांक 952 रजिस्ट्री विक्रय पत्र दिनांक 19.09.2012 ग्रंथ क्रमांक 2364 दस्तावेज क्रं. 1466 के तहत कय किया जिसका इन्द्राज उप पंजीयक कार्यालय औबेदुल्लागंज तहसील–गौहरगंज जिला–रायसेन म0प्र0 में विधिवत रूप से दर्ज है।

यह कि अनुदाता घोषणा कर्ता ने उक्त शॉप कम रेसीडेंस के निर्माण बाबत् न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज से प्रकरण कमांक/64/बी 121/11–12 दिनांक 16.01.2012 द्वारा प्लाट जिस भूमि पर स्थित उसका व्यप्रवर्तन का आदेश अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला–रायसेन से प्राप्त किया गया है एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गौहगंज जिला रायसेन द्वारा कालोनाईजर लाईसेस आदेश कमांक 118/बी121/08–09 दिनांक 26.05.2009 को प्रदान किया गया हैं, उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल संभाग भोपाल म0प्र0 से आवासीय अभिन्यास अनुमोदन दिनांक 29.12.2011 आदेश कमांक 2385 कराया है। एवं उक्त खसरा क्रमांक 437/1/1/1/2, एवं 437/1/1/1/3, एवं खसरा क्रमांक 437/4, 438/1 एवं खसरा नं0 438/2, 438/3, 438/4की अनुमति समस्त विभाग से प्राप्त कर शीतल टाउन के नाम से प्लाटों/दुकान/फ्लेट का विकय किया जा रहा है, एवं नगर पालिका मंडीदीप से भवन अनुज्ञा प्र0क्र0 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 दिनांक 11.10.2012 के तहत विधिवत रूप से प्राप्त कर ली है।

कार्यालय का पता:– श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन आत्मज स्व. श्री बाबूलाल जी जैन आयु–50 वर्ष,निवासी–एच.बी–19,अभिरूचि परिसर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म0प्र0 राष्ट्रीयता भारतीय।

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

पार्टनर

Scanned with CamScanner

मैसर्स श्री प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी
द्वारा पार्टनर श्री अनिल कुमार जैन
आत्मज स्व. श्री बाबूलालजी जैन
आयु 50 वर्ष निवासी एच.बी.-19,
अभिरुचि परिसर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
नियर ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल म.प्र.
राष्ट्रीयता भारतीय

~~जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ~~ घोषित
करते है, कि तथाकथित घोषणा पत्र (प्रकोष्ठ)
का निष्पादन किया गया था तथा प्रतिफल
के पूरे/आंशिक रुपये ....
(अंकों में) ....
प्राप्त हो गये तथा रुपये ....
मेरी उपस्थिति में चुकाए गये हैं, और
प्रतिफल की बकाया रकम ....
रजीयन के बाद प्राप्त होगी।

नाम : रंजीत सिंह गौर
पिता का नाम : श्री जगदीश सिंह गौर
पता : J-276, कोटरा सुल्तानाबाद
भोपाल (म. प्र.)

2. श्री टी.पी. मिश्रा S/o डॉ. आर.एस. मिश्रा
R/o– D-14, बागदिलकुशा रायसेन रोड भोपाल

द्वारा पूर्वोक्त निष्पादक/अभिकर्ता
की शिनाख्त के विषय में की गई
कथन तारीख — माह — 17 OCT 2012

उप पंजीयक

उक्त वर्णित भूमि में भू–तल पर दुकान एवं तीन ऊपरी तलों पर आवासीय फ्लेट का निर्माण किया जा रहा है। जिसका अलग अलग रूप से उपयोग किया जा सकता है।क्योकि उनका अपना पृथक निर्गम मार्ग है, जहा से भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाओं तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और उनका विधिष्ठ तथ संपत्ति अधिकार अधिप्राप्ति और प्रत्येक प्रकोष्ठ राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत दान तथा हस्तांतरित यथावत संपत्ति होगी और उसके भवन के इस विलेख में इसमें इसके पश्चात सूचिवद्व सामान्य तथा/या निबंधित सम्मिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं में जो उसके समुचित उपयोग तथा उपभोग के लिये आवश्यक है और जिन्हें इसमें इसके पश्चात मान्य तथा या निबंधित सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएँ निर्दिष्ठ किया गया है, अविभाजित हित अधिकार प्राप्त होगा और उपयुक्त सभी बातें मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 के अनुसार होंगी।

यह कि भवन के टॉप फ्लोर पर अनुदाता भविष्य में अपनी योजना अनुसार प्रकोष्ठ आदि का निर्माण करने उसे विक्रय करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा जो कि पूर्णतः विक्रेता की संपत्ति रहेगी जब तक वह उसे प्रकोष्ठ निर्मित कर विक्रय नहीं कर देता।

यह कि संभावित क्रेता की मांग पर तथा घोषणा कर्ता विक्रेता की पूर्ण संतुष्टि होने पर विक्रेता द्वारा संपूर्ण इमारत के किसी भी भाग में किये जाने वाले निर्माण में आंतरिक एंव दिये गये नबरों क्रमांकन फेर बदल किया जा सकता है। जो कि पूर्णतः घोषणाकर्ता विक्रेता की इच्छा संतुष्टि एवं उसके विवेक पर निर्भर करेगा।

यह कि उक्त भूमि पर निर्मित होने वाली ईकाईयों को निम्नानुसार क्रमांकित किया गया है :–

	ब्लाक क्र. 1	
ग्राउड फ्लोर	दुकान क्र. 1 से 12	12
प्रथम तल	फ्लेट क्र. 1 से 8	8
द्वितीय तल	फ्लेट क्र. 1 से 8	8
तृतीय तल	फ्लेट क्र. 1 से 8	8
	ब्लाक क्र. 2	
ग्राउड फ्लोर	दुकान क्र. 13 से 21	9
प्रथम तल	फ्लेट क्र. 9 से 14	6

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

पार्टनर

Scanned with CamScanner

	14	
द्वितीय तल	फ्लेट क्र. 9 से 14	6
तृतीय तल	फ्लेट क्र. 9 से 14	6
	ब्लाक क्र. 3	
ग्राउड फ्लोर	दुकान क्र. 22 से 36	15
प्रथम तल	फ्लेट क्र. 15 से 24	10
द्वितीय तल	फ्लेट क्र. 15 से 24	10
तृतीय तल	फ्लेट क्र. 15 से 24	10

कुल – दुकानें 36, फ्लेट 72

भवन की सम्मिलित क्षेत्र सीमाऍं निम्नानुसा होगी :–

01. पानी की सप्लाई हेतु कालोनी के जल प्रदाय स्स्टिम से लिया गया वाटर कनेक्शन
02. ऊपर के तलों पर पहुँचने के लिए कामन स्टेयर केस की सुविधा।
03. भवन में बिजली के तारों की व्यवस्था पानी के पाईपों की व्यवस्था सीवर एवं रेनवाटर पाईप की व्यवस्थां
04. लाईट हेतु बाह्रय विघुत व्यवस्था ओवर हेड वाटर टेंक से पानी भरने के लिये पंप आदि।
05. मीटर पेनल जिसमें समस्त प्रकोष्ठो (व्यवसायिक/आवसीय) का मीटर लगाया जावेगा।
06. भूतल पर एक शौचालय जिसका उपयोग कॉमन रूप से किया जावेगा।
07. नक्शे में प्रदर्शित भवन की नीव मुख्य दीवार, स्तम्भ खंबे, बीमें छत इत्यादि।

विशेष रूप से प्रत्येक प्रकोष्ट के लिये वर्णित हितों के अलावा समस्त अधिकार एवं कर्तव्य एवं विधियां तथा उपविधियां बगैरह म0प्र0 प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 के अनुसार रहेगें। प्रत्येक प्रकोष्ठ के संबध में सम्मिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं मे अविभक्त हित का प्रतिशत किसी भी रूप में घोषणा की तारीख को भारग्रस्त नहीं है।

यह कि ऊपर दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्वामित्व की एक योजना म0प्र0 प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 के उपबंधो के अधीन तथा अध्ययीन न रखते हुए एतद् द्वारा तैयार की गई ताकि नीचे व ऊपरी तलों की इकाईयों को स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने योग्य व्यक्तिगत संपत्तियों के रूप में सुविधा तक जाने का अपना अलग अलग निर्गम द्वार है प्रत्येक पारिवारिक

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

पार्टनर

Scanned with CamScanner

इकाई के स्वामी का उसकी अपनी संबधित पारिवारिक इकाई पर अन्य तथ विशिष्ठ अधिकार हक और हित में तथा क्षेत्र एवं सुविधाओं में विधिष्ठ अविभाजित हित है।

यह कि जब तक अनुदाता के स्वामित्व में एक या अधिक पारिवारिक इकाईयों बनी रहेगी तब तक अनुदाता इस विलेख तथा इस विलेख के तथा उससे संलग्न प्रदर्श क ख सहस्वामित्व भवन की उपविधियों के अनुसार अध्ययीन रहेगी तथा अनुदाता प्रसंहित करता है वह ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा जिससे कि भवन को प्रच्छन्न क्षेत्रों के संबध में दिये गये आश्वासनों के बारे में प्रकोष्ठ स्वामी संस्था के अधिकारों के पर या <u>मनु स प्लेस</u> सहस्वामित्व भवन की संस्थापना के कारण संस्था को सौप गये अन्य अधिकारों के प्रति मूल प्रभाव पड़े।

यह कि सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधायें अविभाजित रहेगी और कोई भी स्वामी उसके बटवारे या विभाजन के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

यह कि इसके स्थापित सामान्य तथा/या निबंधित सम्मिलित क्षेत्रों व या सुविधाओं में अविभाजित हित के प्रतिशत में परिवर्तन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत विलेख के संशोधन मे अभिव्यक्त समस्त प्रकोष्ठों स्वामियों की सर्वसंम्मति के बिना किया जावेगा।

यह कि सामान्य तथा या निबन्धित सम्मिलित क्षेत्रों सुविधाओं मे अविभाजित हित उस पारिवारिक इकाई से पृथक नहीं किया जावेगा जिससे की वह अनुसलग्न और हित भले ही वह किसी हस्तांरण पत्र या अन्य लिखित में अभिवयक्त के रूप में उल्लेखित या वर्णित न हो उस इकाई को हस्तांतरित या भारग्रस्त समझा जावेगा। यह कि किसी भी पारिवारिक ईकाई या कोई भी प्रकोष्ठ स्वामी किसी भी सामान्य तथा या निबंधित समिमलित क्षेत्रों या सुविधाओं के उपयोग का उपभोग का अधिपत्यंजनकर या अपनी पारिवारिक ईकाई का परित्याग कर सामान्य व्ययों में अपने अंशदान के दायित्व के संचय को मुक्त नहीं कर सकेगा।वे समस्त राशियां जो किसी पारिवारिक ईकाई पर प्रभारणीय सामान्य व्ययों के अंश में मुद्दे संस्था के निर्धारित की हो कितु अंधदत्त रही हो केवल 1 शासकीय या नगर पालिका करो या दोनों करों के भुगतान के लिये किसी पारिवारिक ईकाई से वसूली प्रभार यदि कोई हो तथा 2 प्रकोष्ठ के बंधक पर अंधदत्त समस्त राशि को छोडकर समस्त अन्य प्रभारों के पूर्व ऐसी पारिवारिक इकाई पर प्रभार होगी।

यह कि समस्त सर्वमान या भावी स्वामी किरायेदार भावी किरायेदार ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि भवन की सुविधाओं को किसी भी रीति से उपयोग कर इस विलेख के उपबंधो के अध्ययीन है और भवन की किसी भी पारिवारिक ईकाई का मात्र यास किरायेदार पर लेना या मात्र उक्त ईकाईयों में से किसी भी ईकाई के अधिभोग का कार्य यह संक्षिप्त करेगा कि इस विलेख के उपबंधो को स्वीकार तथा अनु समर्पित किया जाता है। संबधित पारिवारिक ईकाईयों प्रकोष्ठ स्वामियों द्वारा अस्थायी या होटल प्रयोजन के लिये जिन्हे क किराया प्रतिकार या तीन दिन से कम किसी भी अवधि के प्रतिकार या ख अवेषक केयर टेकर आधार पर नहीं दी जायेगी

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

पार्टनर

Scanned with CamScanner

या यदि पारिवारिक ईकाई के अधिकारों को प्रववर्ती दायित्वों से भिन्न प्रयोजन होटल या भोजन आवास व्यवस्था या सशुद्वक अतिथि संवाये प्रदान की जाती हो तो संबधित पारिवारिक ईकाईयों के प्रकोष्ठ समितियों की ऐसी ईकाई को पट्टे पर देने या उसे अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति या अवेक्षक केयर टेकर आधार पर देने का पूर्ण अधिकार होगा बशर्ते उक्त पट्टे या अनुज्ञा तथा/या लाईसेंस या अधिक्षक केयर टैकर आधार को कई इस घोषणा में अंतरविष्ठ संविदाओं तथा निबंधनों के अध्यीन तथा आगे इस ख में उल्लेखित विधियो के अध्ययीन रखा जाये।

यह कि यदि संपत्ति पूर्णतः सारभूत से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाये तो संपति की मरम्मत पूर्ण निर्माण यास व्यसन म0प्र0 प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 1976 तथा उपबंधित रूप में किया जायेगा।यह कि किसी पारिवारिक ईकाई को किसी बंधक दार तथा किसी इंग्लिश बंधक के अधीन विक्रय की अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये याऐसी पारिवारिक इकाई के स्वामी के विरूद्व किसी बंधकदार लाये गये दावे की बिकी के निष्पादन में किसी न्यायालय द्वारा बेचा जावे वहा न तो बंधकदार होगा केता जो ऐसे विक्रय में पारिवारिक ईकाई पर हक उत्तपन्न करते हो या उनके उत्तरधिकार या अनुतोषिती संस्था द्वारा निर्धारित ऐसी राशियों के लिये जो ऐसे अर्जक द्वारा अर्जित किये जाने से पूर्व देय हुई हो, दायी होगें तथापित यह समझ लिया जाना चाहिये कि उपयुक्त बात का अर्थ यह नहीं लगाया जावेगा कि प्रकोष्ठ स्वामी संस्था निर्धारित के लिये विधि द्वारा यथा उपबंधित रूप में प्रभार फाईल नहीं कर सकेगा तथा उसका दावा नहीं कर सकेगा और उसके प्रवृत्त नहीं करा सकेगा और यह कि ऐसा बंधक का अधिनस्थ होगा।

यह कि पारिवारिक ईकाई के किसी स्वेच्छा हस्तांतरण में ईकाई के प्रप्तिकर्ता अनुदान या हस्तातंरण के समय तक प्रकोष्ठ स्वामी संस्था द्वारा सामान्य व्ययों के लिये अनुदाता के हिस्से के प्रति किये गये निर्धारणों में अनुदाता द्वारा वे अंशदत्त समस्त निर्धारणों हेतु अनुदाता के साथ संयुक्त रूप में पृथक रूप से दोषी होगा कितु प्राप्तकर्ता के द्वारा अनुदाता के लिए भुगतान कि गई रकमों की अनुदाता से वसूली करने के प्राप्तिकर्ता के अधिकार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथापित ऐसे किसी भी प्राप्तकर्ता को यथा स्थिति संस्था के प्रबंधक बोर्ड की अंशदत्त राशिया दर्शाई गई हो और प्रकोष्ठ स्वामी द्वारा अनुदाता पर किये गये तथा अनुदाता द्वारा अंशदत्त निर्धारणों की उसमें दी गई राशि से अधिक राशि के लिये ऐसा प्राप्तिकर्ता दायी नहीं होगा।

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

पार्टनर

Scanned with CamScanner

यह कि संस्था का प्रबंधक बोर्ड पारिवारिक ईकाईयों ऐसी रूप में और ऐसी रकम का जिससे प्रबंधक बांक धारण करने वाले बंधकदारों का समाधान हो जावे सारविक ब्लेकिट संपत्ति बीमा करायेगा और उसे प्रभाव रखेगा किन्तु इसका भी पारिवारिक ईकाई का अलग से बीमा कराने का अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कि साविक ब्लेकेट बीमा के लिए बीमा प्रीमियम एक सम्मिलित व्यय होगा जिसका भुगतान प्रतिष्ठित स्वामी संस्था द्वारा अवग्रहित मासिक निर्धारणों द्वारा किया जावेगा और यह कि ऐसे भुगतान का हिसाब संस्था के प्रथम लेखे में रखा जावेगा। और उसका उपयोग सांविक संपत्ति बीमा प्रीमियमों के देय होने पर एक मात्र उनका भुगतान करने के लिये किया जावेगा।

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता पार्टनर

अनिल कुमार जैन

दिनांक :- 17/10/2012

गवाहान :-

हस्ताक्षर नाम : रंजीत सिंह गौर

1.नाम पिता का नाम : श्री जगदीश सिंह गौर

हस्ताक्षर पता : J-276, कोटरा सुल्तानाबाद

भोपाल (म. प्र.)

2.नाम श्री टी.पी. मिश्रा S/o डॉ. आर.एस. मिश्रा

पता:- D-15, बाग दिलकुशा रायसेन रोड भोपाल

नोट :- इस दस्तावेज में कोई कांट-छांट नहीं है।

DRAFTED BY ME
Smt. KAMINI GUPTA
Advocate
G-M-4, Mansarovar Complex
7 No. Stop, BHOPAL

उप पंजीयक
औबेदुल्लागंज

उप पंजीयक
औबेदुल्लागंज

वास्ते श्री प्रभाकर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी

पार्टनर

17 OCT 2012

[illegible] ता. ...... माह ......

की पुस्तक क्रमांक ...A-1... प्रतिलिपि

खंड 2377 के पृष्ठ ...07...

48 से ...54... तक क्र. ...1663...

देकर पंजीयत किया गया।

[illegible]

उप पंजीयक

[illegible] उप पंजीयक [illegible]

मुद्रांक शुल्क ....

भेंट शुल्क ....

पंजीयन शुल्क ...... 100=00

पृष्ठांकन शुल्क ...... 30=00

नकल शुल्क ...... /

तुलना शुल्क ......

अतिरिक्त शुल्क ......

योग शुल्क ...... 130=00

उप पंजीयक